प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 42 / 2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Shravan Singh Add: V/P Rana, Teh- Gogunda, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गोगुन्दा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 03/06/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329570791278711 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 9123932518 दिनांक 06.05.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 42 / 24 / 526–27 दिनांक 06.05.2024 से लिखा गया

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 296–97 दिनांक 21.05.2024 से अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना अस्पष्ट है क्योंकि पत्रावली क्रमांक एवं दिनांक के अभाव मे सूचना दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी द्वारा बताये गये दायरे के अनुसार सूचना संग्रहित नहीं है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना जिस रूप में संग्रहित है उसी रूप में सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है। बिन्दु संख्या 3 की सूचना भूमि रूपान्तरण नियम 2007, संपरिवर्तन संशोधन नियम 2020, 2021 एवं 2023 है जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है भूमि रूपांतरण नियम की प्रतिलिपि प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के अनुसार प्रस्तुत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 296–97 दिनांक 21.05.2024 से अवगत करवाते हुए बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलार्थी को दी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 1 के संबंध में प्रत्यर्थी का कथन है कि पत्रावली क्रमांक एवं दिनांक के अभाव में सूचना नहीं दी सकी परन्तु अपीलार्थी द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में संबंध में सूचना नहीं चाही जाकर तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा विगत 6 माह में भू–रूपांतरण(आवासीय / वाणिज्यिक) की कुल फाईल्स की कॉपी मय नाम

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

सूची चाही गई थी। एवं बिन्दु संख्या 2 के संबंध में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रूप में सूचना उपलब्ध नहीं होने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 3 की सूचना उपलब्ध करवा दी गई बिन्दु संख्या 2 की सूचना अपीलार्थी द्वारा चाहे जा रहें रूप में संग्रहित नहीं होने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर बिन्दु संख्या 1 के संबंध में प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विगत 6 माह में जारी भू–रूपांतरण की पत्रावलियों के संबंध में नाम मय सूची अपीलार्थी को प्रदान करावे। पत्रावलियों के प्रति के संबंध यदि अपीलार्थी द्वारा संबंधित प्रकरण का क्रमांक एवं दिनांक अंकित उपलब्ध करवाई जाती है तो नियमानुसार शुल्क निर्धारत कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये।

साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों को नियमानुसार निश्चित समयावधि में निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गोगुन्दा को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर